

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 209 /11-सी-FP/UP/Others/13877/2015, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 28, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),  
उ०प्र० शासन,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,  
लखनऊ।

विषय:-कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस०एच०-80) किमी० 26.320 की दायीं पटरी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं०-537 में एस्सार ऑयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075012 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति।  
(प्रस्ताव सं०- FP/UP/Others/13877/2015)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8वी०/यू०पी०/०6/40/2017/एफ०सी०/46, दिनांक-17.07.2017  
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-219/14-1, दि० 21.07.2020 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धी प्रस्ताव दो प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार 02 मूल प्रस्ताव।

भवदीय,  
28/7  
(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- /11-सी FP/UP/Others/13877/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि० ए-5, से०-3, नोएडा।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।